न्यायालय जिला कलक्टर हनुमनगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या—:04 / 2017

जसवन्त पुत्र दुर्गादास उम्र 35 वर्ष जाति स्वामी निवासी नुवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलान्ट

बनाम

1.काशीराम शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2.जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

——रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश कमांक रसद / अभि / 2017 / 1019 दिनांक 13.04.2017 जिसकी रूप से आदेश कमांक 9807—12 दिनांक 09.02.2017 द्वारा काशीराम उचित मूल्य दुकानदार नुवां तहसील भादरा का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया गया को निरस्त कर काशीराम का उचित मूल्य की दुकान संख्या 807 का प्राधिकार पत्र निरस्त करने हेतु।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः—1.श्री विजय कौशिक वकील अपीलान्ट
2.श्री राजेश रोकणा वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1
3.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

निर्णय दिनांकः—07.03.2018

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 2 ने रेस्पो संख्या 1 को गांव नुवां तह0 भादरा के लिए उचित मुल्य की दुकान नं0 807 के दुकानदार के रूप में राशन कार्ड धारको को अनाज व कौरोसीन वितरण हेतु अधिकृत कर प्राधिकार पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट भी उचित मूल्य की दुकान नं0 807 का राशन कार्ड धारक है। अपीलान्ट व अन्य राशन कार्ड धारक अपने राशनकार्ड के माध्यम से दुकान नं0 807 से अनाज एवं 5—5 लीटर केरोसीन उचित मूल्य पर प्राप्त करने के अधिकारी है। परन्तु पिछले कुछ माह से रेस्पो0 संख्या 1 ने केरोसीन व अनाज अपीलान्ट व अन्य राशन कार्ड धरको को यह कहते हुए वितरण नही किया कि उनके राशन कार्डो का राशन उसके द्वारा प्राप्त नही किया। तब अपीलान्ट व अन्य राशन कार्ड धारको ने वितरण रजिस्टर राशन डीलर रेस्पो0 संख्या 1 का देखा तो उसमें अपीलान्ट व अन्य राशन कार्ड धारको को राशन वितरण किया जाने का अंकन रजिस्टर में दर्ज किया जाना दर्शित हुआ। जिस पर अपीलान्ट व अन्य कार्ड धारको ने उनके साथ हुए कपट बाबत एक शिकायत भी 22.12.2016 को संबंधित अधिकारियो को उचित मूल्य की दुकान नं0 807 की जांच हेतु प्रस्तुत की एवं उपखण्डाधिकारी भादरा के यहां भी 26.12.2016 को राशन कार्ड धारको के साथ हुए कपट बाबत जांच हेतु शिकायत आवेदन पत्र पेश किया। अपीलान्ट व अन्य राशन कार्ड धारको की उक्त शिकायत के उपरान्त नायब तहसीलदार एवं पर्वतन निरीक्षक ने दिनांक 19.01.2017 को उचित मूल्य की दुकान नं0 807 की जांच की, जांच के समय लगभग 200 राशन कार्ड धारक उपस्थित थे जिन्होने यह कथन किये थे कि राशन डीलर दुकान नं0. 807 ने अनाज, कैरोसीन व चीनी वितरण में धांधली की है उसके विरूद्ध कार्यवही किऐ जाने एवं डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का भी कथन किया जिस पर दिनांक 27.01.2017 को जांच रिपोर्ट एस0 डी0 ओ0 भादरा को दी जिसमें जिन्होने सक्षम अधिकारी को डीलर के विरूद्ध कार्यवाही किऐ जाने हेतु प्रेषित कर दी उक्त जांच रिपोर्ट मे यह स्पष्ट था कि रेस्पो0 संख्या 1 ने 10.80 क्विटल अनाज व 32.5 लीटर कैरोसीन के स्वयं को लाभ पहुंचाने हेतु अवैधानिक तरीके से स्थानान्तरित किया है जो **E-C-Act- 1955** में दिये प्रावधानो के विपरीत है एवं अधिनियम की उल्लधना सिद्ध मानी गई एवं दिनांक 09.02.2017 को **Raj. food & other essential Commidities [Regulation of Distribution] order 1976** में प्रावधानो के विपरीत रेस्पो0 संख्या 1 का कृत्य मानते हुए प्राधिकार पत्र रेस्पो0 संख्या 1 निलम्बित कर दिय गया था जो विधि सम्मत था।

रेस्पो0 संख्या 1 को रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा नोटिस जारी करने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अवैधानिक रूप से 10.80 क्विटंल अनाज व 32.5 लीटर कैरोसीन का हस्तान्तरण मानते हुए उक्त सामान की राशि खजाना राज जमा करवाने हेतु अपनी सहमति देने पर रेस्पो0 संख्या 2 की अमानत राशि forfiting करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 का प्राधिकार पत्र अपीलाधीन निर्णय से बहाल करने का कतई विधि विरूद्ध आदेश दिया

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

है जो किसी सूरत में कायम रहने योग्य नही है। रेस्पो0 संख्या 2 ने रेस्पो0 संख्या 1 का उचित मूल्य की दुकान हेतु जारी प्राधिकार पत्र के निलम्बन के आदेश के निरस्त कर रेस्पो0 संख्या 2 प्रदत प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल किऐ जाने के आदेश कतई विधि विरूद्ध दिये है जबकि रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा विधि विरूद्ध किऐ कृत्य को स्वीकार किया था एवं पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात से रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा अपीलान्ट व अन्य राशन उपभोक्ताओ से रिकार्ड में फर्जकारी कर उन्हे हानी पहुचांई जानी सिद्ध थी। रेस्पो0 संख्या 2 ने रेस्पो0 संख्या 1 के प्राधिकार पत्र को दिनांक 13.04.2017 को अपने आदेश से बहाल करने का जो आदेश दिया हैं उसमें निलम्बन को बहाल किऐ जाने का कोई कारण उल्लेखित नही किया है। अपीलाधीन निर्णय कतई अवैध होने से तार्किक नही होने के स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट व अन्य राशन कार्ड धारको ने रेस्पो0 संख्या 1 की उचित मूल्य की दुकान बाबत उपखण्डाधिकारी भादरा के यहां 26.12.2016 को शिकायत की थी एवं नायब तहसीलदार एवं पर्वतन निरीक्षक ने लगभग 200 से अधिक उपभोक्ताओ के समक्ष जांच रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि रेस्पो0 संख्या 1 ने 10.80 क्विंटल अनाज व 32.5 लीटर कैरोसीन अवैधानिक तरीके से वितरण किया है इसी कारण दिनांक 09.02.2017 को रेस्पो0 संख्या 1 का राशन वितरण प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था एवं रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने जबाव में उक्त तथ्यो को स्वीकार भी किया था। उक्ताधार पर रेस्पो0 संख्या 1 का राशन वितरण प्राधिकार पत्र काबिल निरस्ती था परन्तु रेस्पो0 संख्या 2 ने रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि को समायोजित कर रेस्पो0 संख्या 1 को राशन वितरण के प्राधिकार पत्र को बहाल करने का आदेश कतई विधि विरूद्ध पारित किया है जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपने अपराध को स्वीकृत करने के कारण एवं प्रस्तुत रिपोर्ट की अनियमितताऐ सिद्ध होने से रेस्पो0 संख्या 2 का यह नैतिक कर्तव्य भी था कि रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही धारा 3/7 E.C.Act के तहत कर रेस्पो0 संख्या 1 का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करते। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2017 को पारित किया गया है जो अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये एक पक्षीय पारित किया है जिसका ज्ञान 21.06.2017 को होने पर जिसकी नकल अपीलान्ट ने प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अधिवक्तागण की राय से सिविल रिट पेटीशन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अन्य आवश्यक कागजात की नकल 17.07.2017 को प्राप्त कर दी थी जो एस.बी.सिविल रिट संख्या 8376 सन् 2017 दर्ज हुई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 24.07.2017 को रिट प्रस्तुत होने के पश्चात अपीलान्ट के अधिवक्ता के समक्ष यह तथ्य आया कि आदेश दिनांक 13.04.2017 अपील योग्य आदेश है इसलिए उनके द्वारा एस.बी. रिट पेटीशन को प्रेस ना करते हुए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने हेतु न्यायालय के समक्ष कथन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा रिट पेटीशन में 24.07.2017 को आदेश प्रसारित कर दिये। अपीलान्ट/प्रार्थी ने अधिवक्ता की विधिक राय के अनुसार ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पेटिशन प्रस्तुत की थी परन्तु जब दिनांक 01.08.2017 को अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्ट को सूचित किया कि आपको न्यायालय

जिला कलक्टर हनुमानगढ के यहां आदेश दिनांक 13.04.2017 के विरूद्ध पहले अपील प्रस्तुत करनी होगी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट का निर्णय 24.07.2017 को कर दिया है एवं नकल आदेश भी प्राप्त कर ली है इसलिए आप आकर नकल मय पत्रावली ले जावे एवं अपील प्रस्तुत करे जिस पर अपीलान्ट दिनांक 02.08.2017 को जोधपुर जाकर पत्रावली लाकर हनुमानगढ स्थित अभिभाषकगण से दिनांक 4 ता 7 अगस्त का अवकाश होने पर दिनांक 08.08.2017 को सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अभिभाषकगण का कार्य स्थगन होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही संभव नही होना कहने के कारण कार्य स्थगन समाप्त होने पर सूचित करने का कहा जिस पर दिनांक 14.08.2017 को अधिवक्तागण का कार्य स्थगन समाप्त होने पर अधिवक्ता की सूचना पर दिनांक 15. 08.2017 का अवकाश होने पर दिनांक 16.08.2017 को अपील तैयार करवाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नही सुना गया जबकि अपीलान्टस की शिकायत पर ही रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही संपादित की गई थी। अपीलाधीन आदेश का अपीलान्ट को जैसे ही दिनांक 21.06.2017 को ज्ञान हुआ कुछ नकले 21.06.2017 को व कुछ नकले 17.07.2017 को प्राप्त कर जोधपुर स्थित अधिवक्ता से राय कर दिगभ्रमित होकर रिट दायर दी थी इसलिए रिट दायरी में लगे समय एवं रिट से पूर्व व पश्चात अधिवक्ता की गलती के कारण लगे समय को ज्ञान दिनांक 21.06.2017 से आज दिनांक तक लगी समयावधि को कन्डोन करने पर ज्ञान से भीतर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे प्रकरण की विविध पैचिदगियो का ज्ञान नही होने से अज्ञानतावश ही माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत कर दी थी इसलिऐ अपील प्रस्तुत करने में हुई समस्त देरी को न्यायहित में माफ की जावे गुणावगुण पर प्रकरण बल रखता है एवं अपीलाधीन आदेश कतई अवैध है जो अपीलान्ट की पीठ पीछे पारित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर रेस्पो0 संख्या 1 की उचित मूल्य की दुकान नं0 807 ग्राम नुवां तहसील भादरा का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर उसके विरूद्ध धारा 3/7 E.C.Act के तहत फौजदारी प्रकरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट एवं अभिलेख की तलबी की गई। वकीलं उभय पक्ष उपस्थित।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट व अन्य राशन कार्डधारक को अनाज व कैरोसीन का वितरण नही किया। रेस्पो0 नं0 1 अपीलान्ट व अन्य राशन कार्ड धारको को वितरण रजिस्टर में राशन वितरण किया जाने का अंकन दर्ज किया गया। अपीलान्ट व अन्य कार्ड धारको द्वारा इस बाबत एक शिकायत संबंधित अधिकारी को की गई। जांच अधिकारी द्वारा रेस्पो0 नं0 1 की दुकान की जांच की गई। जांच में उपस्थित राशन कार्डधारक द्वारा अनाज, कैरोसीन व चीनी वितरण में धांधली की शिकायत की गई। जांच अधिकरियो की जांच के आधार पर रेस्पो0 नं0 1 का प्राधिकार पत्र का निलम्बित कर दिया गया। रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अनाज 10.80 क्वि0 व 32.5 लीटर कैरोसीन का अवैधानिक रूप से हस्तान्तरण मानते हुए उक्त सामान की राशि खजाना

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

राज जमा करवाने की सहमति देने पर रेस्पो0 नं0 2 अमानत राशि जब्त करते हुए रेस्पो0 नं0 1 का प्राधिकार पत्र अपीलाधीन आदेश से बहाल कर दिया जो विधि विरूद्ध है। रेस्पो0 2 द्वारा रेस्पो0 1 के निलम्बित प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का कोई कारण उल्लेख नही किया है। जांचकर्ता अधिकारियो द्वारा उपभोक्ताओ के समक्ष जांच रिपोर्ट तैयार की थी। रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अनाज व कैरोसीन का अवैधानिक तौर से वितरण किया है जिसे रेस्पो0 नं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जबाव में भी स्वीकार किया है। रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपने अपराध को स्वीकृत करने पर तथा अनियमितताऐ सिद्ध होने पर रेस्पो0 संख्या 2 रेस्पो0 नं0 1 विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाने चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसका ज्ञान दिनांक 21.06.2017 को होने पर जिसकी नकल अपीलान्ट ने प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अधिवक्तागण की राय से सिविल रिट पेटिशन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अन्य आवश्यक कागजात की नकल 17.07.2017 को प्राप्त कर प्रस्तुत की थी। एस. बी. सिविल रिट संख्या 8376/2017 दर्ज हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता के समक्ष यह तथ्य आया कि अपीलाधीन आदेश अपील योग्य आदेश है। एस. बी. रिट पेटिशन को प्रेस ना करते हुए अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष कथन करने पर मा0 न्यायालय द्वारा रिट पेटिशन में दिनांक 24.07.2017 को आदेश पारित कर दिये। अधिवक्ता ने दिनांक 01.08.2017 को अपीलान्ट को सूचित किया कि आपको न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ के यहां अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध पहले अपील करनी होगी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.07.2017 की नकल के साथ दिनांक 4 ता 7 अगस्त का अवकाश होने पर दिनांक 08.08.2017 को अभिभाषकगण का कार्य स्थगन होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही संभव नही होना कहने के कारण तथा दिनांक 15.08.2017 का अवकाश होने पर दिनांक 16.08.2017 को अपील तैयार करवाकर अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए रिट दायरी में लगे समय एवं रिट से पूर्व व पश्चात अधिवक्ता की गलती के कारण लगे समय को ज्ञान दिनांक 21.06.2017 से अपील प्रस्तुत करने तक लगी समयावधि को कन्डोन करते हुए ज्ञान से भीतर सियाद अपील मानते हुए समस्त देरी को न्यायहित में माफ किया जावे। मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया हैं। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर रेस्पो0 न0 1 के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पो0 नं0 1 ने अपनी बहस में कथन किये कि रेस्पो0 नं0 1 की उचित मूल्य दुकान के संबंध में शिकायत होने पर शिकायत के संबंध में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जांच के आधार पर प्रतिभूति राशि को जब्त करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिभूति राशि को जब्त करते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दण्डित किया जा चुका हैं। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही है। अपीलान्ट द्वारा बतौर तृतीय पक्षकार अपील करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट की यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2017 जिसकी रूप से आदेश कमांक 9807—12 दिनांक 09.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई हैं। अपीलान्ट के वकील द्वारा दोराने बहस यह कथन किया कि जांच अधिकरियो की जांच के आधार पर रेस्पो0 नं0 1 का प्राधिकार पत्र का निलम्बित किया गया। रेस्पो0 नं0 2 द्वारा अमानत राशि को जब्त करते हुए रेस्पो0 नं0 1 के प्राधिकार पत्र को अपीलाधीन आदेश से बहाल कर दिया। रेस्पो0 नं0 2 द्वारा रेस्पो0 1 के निलम्बित प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का कोई कारण उल्लेख नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पो0 नं0 1 के वकील द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जांच के आधार पर प्रतिभूति राशि को जब्त करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को प्रतिभूति राशि जब्त कर दण्डित किया जा चुका हैं। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से अपीलान्ट प्रकरण में शिकायत के तौर पर पक्षकार होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड योग्य हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारो को सुनवाई व जन हित में साक्ष्य पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 07.03.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
हनुमानगढ